SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Anytime.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I have only one point to make. If it is not possible to seek clarifications today, tomorrow immediately after the Question Hour Members can seek clarification. The text of the statement may be circulated to the hon. Members.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The text of the statement is very long. Members also need some time to study it. *...(Interruptions)...* The text is being circulated now. *...(Interruptions)...* Now the next item is the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2011

GOVERNMENT BILLS

The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2011

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF OIL AND NATURAL GAS (SHRI R.P.N. SINGH): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend, the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 provides for the acquisition of right of users in land for laying pipelines. However, the existing provisions do not provide sufficient deterrence to criminals. Sections 15 and 16 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 do not contain adequate provisions for the enforcement authorities to arrest or detain any person unless he is caught red-handed during pilferage or sabotage. Usually due to non-availability of witnesses in such cases, it is difficult to ensure conviction of the culprits in a timely manner. The Bill may be taken into consideration.

The question was proposed.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (Bihar): Sir, I thank you very much for this opportunity to speak on this Bill. This is the original Act of 1962 which has been proposed to be amended now. The

Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2010, has been passed by Lok Sabha and has been sent to us for consideration. Sir, we all know the network of crude oil is expanding across the country and not only across the country, we also have network traversing across different Continents as well. The requirement for energy is growing and as well the requirement of petroleum products is growing. At the same time, energy needs are there and requirement of gas is there. We are talking about meeting the needs of about 1.26 billion people. This is one of the most important aspects which has to be taken into account because petrol or fuel is treated as liquid gold. There is a natural tendency to pilfer it. Ever since the excavation or extraction of oil started, it is not only in India but across the world, pilferage has been a natural temptation of the people across the world. But now a different trend is also coming where there is an attempt by groups to sabotage it to pursue their own terror incidents or to pursue their own cases. There are places in the world where the pipelines have been destroyed to prove a point and there are groups who have been working to destroy those pipelines. In India also it becomes very important now and, therefore, this Bill has been brought to incorporate certain provisions of penal actions.

India comprises of about 16 per cent of the world's population, which means almost every sixth man walking on the globe is an Indian and we have to meet his requirement. India, of course, is having very small reserves of petroleum, which is only 0.6 per cent and only 10 per cent of coal reserves and it is very less. There is growing energy consumption across and we need to cater to that. We expect this to grow. The requirement and flow of pipelines and fuel in the pipelines will keep on growing and we expect it to be around 20-25 per cent higher in another 20 years than what we are today. I am really very sure about the actual extent of pipelines in this country. Some figures talk about 33,000 kms in length and some figures talk about 40,000 kms. I am sure the Minister would be able to exactly give us the details of the exact length of the oil pipelines, of the gas pipelines and other pipelines. I could not get the figures. I have been trying to locate the figures. I am sure the exact length of the pipelines in the country and the projected pipelines in the next couple of years, the projects which are on-going would be reflected because it was not reflected in the Objects and Reasons as to what is the extent of these pipelines. Sir, we all know that theft or pilferage is mostly related to oil pipelines because it is very difficult to extract gas or capture gas or take it out and make

a separate use for that and the original lines, which we remember, was from Digboi to Barauni. It was one of the oldest lines in the country in 1960s. That was possibly the first experiment when you started with pipelines because it is the cheapest mode of transportation of crude oil. It is much cheaper than road transport or rail transport. It had an advantage, but, at the same time, there were other issues involved but that was the first. The gas pipeline which is Hazira-Bijapur-Jagdishpur gas line which is of course, a very long one, is about 3452 kms. In Gujarat alone, the ONGC has a gas pipeline of around 12000 kms which is extraordinary and today across the world the total length of pipelines which is used for transportation of gas is 20 lakh kms. It is in itself a big challenge for the world to protect all the gases flowing across. Now we are talking of gas pipelines which have to be protected not within the countries. The gas pipelines have to be protected across the nations. I do not know, the Minister would be able to tell us whether there are gas lines which are proposed in India, which were international. We found that certain gas lines had to go down to China. China could access those gas pipelines from Myanmar and further down to Iraq. That is another story which possibly the Minister may like to reflect if he thinks it is appropriate. But, these lines are being extended across boundaries and the ramifications are different. It is just not protecting at the international level but it is also protecting at the local level. Sir, throughout the world, the maximum - as I said - pipelines which are used caters for 71 per cent of oil supplies and the rail and road is approximately 3-4 per cent. We understand and we all appreciate in times to come that the numbers would be growing. In India, we have six major ports which are taking care of these pipelines. They are six on the Eastern Coast and another five on the Western Coast. There are small major ports which are taking care of this transportation of oil. Sir, the aspect which has been brought in here is about securing these pipelines and the very purpose of this Bill is to secure these pipelines. I will come back to certain more figures. When the pipelines are laid and initially it is the Government's prerogative to have pipelines being laid across the States and we made an Act where we said that we will acquire pipelines. Wherever the pipelines have to go and there is a right of way for the pipelines three metres on the right side and three metres on the left side -- we can lay a pipeline of about a metre deep in the ground. So, thousands and thousands of kilometres in length were taken over. But

the Government did acquire it. It is a fact and at that time we did not have so much rights or activists who could have talked about these pipelines being laid across States and we never talked about it. But, today, the challenge is that we have to maintain these pipelines. To maintain these pipelines, we have to secure these pipelines. And, to secure these pipelines, we need to have security. For security, we need the support of the State Governments, the Central Government agencies and also the people of that area. Now, it has become a biggest challenge. Of course, if a pipeline is damaged because of its age or pilferage or when people try to get into these, it becomes a major issue. And, Sir, there is also one aspect which was not considered, initially, when the pipelines were laid and that is the environmental issues. Now, fortunately, there are enough laws today and with the passing of the National Green Tribunal Bill we are able to access all that support which we could not get earlier.

Sir, there is another aspect. I do not know whether the hon. Minister would like to speak on this subject here. Today, we are spending huge amount of money for protecting these pipelines. To secure these, we have new surveillance devices. Equipments installed at pumping stations will tell you wherever pilferage takes place or you can make out when there is drop in pressure. But, what about those people who have given away their land 20 or 30 or 40 years ago? Had the consciousness across the country been as much as we have today when we have the Land Acquisition and other Bills, the things would have been different. Had the Government, at any point of time, involved the stakeholders - stakeholders are those people who have given their land, even a small patch of land and if they were allowed to look after the pipelines crossing their land and if they were paid a small rental for looking after pipelines, possibly, this huge expenditure which the Government would incur now, or, the provisions which we are trying to bring in, would have been avoided. I do not know whether this is going to become a reality. Or, we will have to wait for some agitation to come back to this point that all those who have allowed their land to be used for laying down the pipelines 20 or 30 or 40 years ago could have a stake. I am not putting an idea. But, possibly, the amount of money which is being spent on surveillance and the stakeholders. वे किसान, जिनकी धरती से वह पाइप गयी है, अगर उनको किसी समय इसके साथ जोड़ दिया जाता, तो ये अरबों-अरबों रुपये उनकी सुरक्षा पर खर्च नहीं करने पड़ते।

एक नया प्रावधान हम लोग यह लेकर आ रहे हैं कि यह सरकार इस प्रकार की चोरी पर नियंत्रण करेगी। सरकार यह कर सकती है, क्योंकि आपकी सरकार बहुत तरह के काम करना चाहती है। आप खाद्य सुरक्षा

अधिनियम लाना चाहते हैं। मैं यह नहीं जानता कि आपकी नेता इस बात को सुन रही होंगी या नहीं, लेकिन अगर वे सुन लेंगी, तो शायद इस प्रस्ताव पर भी काम किया जा सकता है। यह एक सुझाव है, मैं समझता हूं कि यह कठिन होगा, लेकिन इस सुझाव पर विचार करना अच्छा होगा और भविष्य में अगर किसी प्रकार की जमीन अधिग्रहित की जाती है, चाहे वह जमीन किसान की हो या किसी भी व्यक्ति की हो, तो मुझे लगता है कि उसे स्टेकहोल्डर बना लेने में ज्यादा सुरक्षा की संभावना है। यह एक नया विचार है और यह नया विचार इस विषय को लेकर है, लेकिन अगर आप इस पर विचार करेंगे, तो शायद यह बेहतर होगा।

महोदय, इस बिल में कई सारे प्रावधान लाये गये हैं। अब आपने इसमें एक नया प्रावधान यह जोड़ा है कि अगर आपके खेत से पाइपलाइन जा रही है और उस पाइपलाइन के बाहर 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' की एक छोटी-सी नेम प्लेट लगी है। अगर गांव का एक बच्चा खेलते हुए उस नेम प्लेट को उखाड़ लेता है और उसको ले जाकर कहीं फेंक देता है, तो इसमें आपने जो यह अधिकार दिया है कि उसे छः महीने तक के लिए जेल भेज दिया जाएगा, तो मुझे यह लगता है कि it is not required for signage. जैसे, एक किसान के खेत में बोर्ड लगा हुआ है और अगर किसी बच्चे ने या किसी ट्रैक्टर ने उसे गिरा दिया, तो कल आपका अधिकारी वहां जाएगा, क्योंकि आप इस बिल के माध्यम से एक ऐसा प्रावधान दे रहे हैं कि the Central Government officials would have the right of policing. And, once you give them the right of policing, वह कहेगा कि तुम्हारे बेटे ने इस लैंप पोस्ट के बगल में लगा हुआ नक्शा उखाड़ दिया है। As Mr. Ravi Shankar Prasad has said that it is policing over a private land. उसमें पनिशमेंट यह है कि उसके लिए छः महीने की सजा होगी और कुछ फाइन किया जाएगा। यह अपने आप में ऐसा लग रहा है जैसा अभी अहलुवालिया साहब कह रहे हैं कि दो भैंस आपस में लड़ जाएं और वह अगर गिर जाए, तो आप कहेंगे कि आपका सिपाही वहां जाकर कार्रवाई करेगा। यह जो अन्ना हजारे का अभियान है, यह ऐसे ही कर्मचारियों को लेकर है। आप इसमें ऐसे प्रावधान देकर वैसे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को अधिकार दे रहे हैं जो हर दिन पांच सौ या सात सौ रुपया वसूलता रहेगा, इसलिए इस क्लॉज को तो बिल्कुल ही डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। पता नहीं आपके अधिकारियों ने क्या समझाया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि इस क्लॉज को इसमें रखने की आवश्यकता है या नहीं कि अगर कहीं बोर्ड पर कोई नाम लिखा हुआ है और अगर वह बोर्ड गिर गया, तो उसको आप जेल भेज देंगे, तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब इस में दिया है कि trenches खोदे जाएंगे। भला किसान को जिसे आप ने एक बार trench खोद कर दे दिया तो दूसरा trench खोदने का क्या उद्देश्य है? इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रावधान पर विचार करते हुए आप इसे विलोपित कर दें तो बेहतर होगा। फिर जो आप करेंगे, वह उचित ही होगा। The other provision which has been made is very important; this is about damage to pipelines.

AN. HON. MEMBER: What is the meaning of mentioning Anna Hazare here? ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैंने कहा कि ऐसे ही नियमों के कारण चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के विषय उठते हैं और जब सरकार गलती करती है तो लोग कहने लगते हैं कि यह बेईमानी हो रही है। इसलिए आप ऐसे नियम न बनाएं जिस से ऐसे अधिकारी बाजार में घूमें जिस के लिए फिर लोग एक बड़ा कार्यक्रम चलाएं। My idea is to get rid of all these provisions. This is sub-clause 15(1). I am sure you will understand that and consider it.

Now I come to damaged pipelines. सर, यह दो प्रकार का है। एक तो बीस वर्षों में उस पाइप लाइन को बदलना है। आप ने बीस वर्षों तक उस पाइप लाइन को बदला नहीं और अचानक उसमें से तेल का रिसाव होने लगा। तो आप क्या समझते हैं कि गांव का लड़का वहां अपनी बाल्टी लेकर नहीं पहुंचेगा? वह निश्चित रूप से पहुंचेगा क्योंकि उसे लगेगा कि इसमें तेल है। सर, जब वह बाजार में पेट्रोल पम्प पर जाता है और उसे पता चलता है कि उसे वह खरीदने के लिए 40-50 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर कहीं से रिसाव हो रहा है तो वह अपनी बाल्टी या डिब्बा लेकर जाएगा और तेल जमा कर लेगा। अब उसने तेल जमा कर लिया और उसे घर ले गया तो the onus of the proof lies on the person... उसे यह प्रूव करना पड़ेगा कि वह मेरा है, जैसा कि रेप केस व और लॉज में आप ने प्रोविजन किया है, The onus to prove is on the accused. I think this is a bad provision. In this case, seepage has taken place because of a damaged pipeline. It is the responsibility of the petroleum company. If a pipeline is damaged, then, how will you define this? किसान को पता लगेगा कि यहां से तेल निकल रहा है और वह कीमती है तो उसने उसे ड्रम में भर लिया। इसलिए इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि आप की liablity क्या है? Who will certify that the pipeline was damaged, which caused this seepage and that seepage has been collected by an individual? और आप ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को दस साल की सजा होगी और वह non bailable होगी। मंत्री महोदय भी किसान दिखते हैं और बीच-बीच में किसान जैसी बात करते हैं, आप कभी खेत में पाइप लाइन के बगल में जाकर खड़े होइएगा तो शायद यह विषय आप को बेहतर समझ में आएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर भी विचार किया जाए कि ऑइल कंपनी के जो लोग पंप कर रहे हैं, उन की क्या liability है? Who will certify that the product which leaked out was lost because of the poor maintenance on the part of the company, as far as the pipeline is concerned? जहां तक आप यह प्रमाणित कर सकें कि someone has pilfered it, किसी ने उस में छेदकर उसमें से निकाला है। वह सही है, But, who will prove that? This investigation is being left to the person who is going to be certified by the Central Government.

सर, यह कानून अपने आप में बड़ा खतरनाक है।

सर, उसके बाद तीसरा प्रावधान sabotage के बारे में है। अगर कोई उस में बम लगाकर उड़ा देता है और उस से death/injury होती है, It is a very good provision. If it is a proven sabotage, someone comes to the pipeline and places a bomb, then, the punishment which has been suggested here सर, इस में कंडिका 15(3) में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बम लगाकर sabotage करता है तो उसको death sentecne भी दिया जा सकेगा। यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ऐसी मंशा जाहिर की है कि पाइप लाइन में बम लगाइए, उस पर कब्जा कीजिए, उसे तोड़िए तो मौत की सजा दी जाएगी। यह सरकार की मंशा होगी। आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर सरकार की यह मंशा है तो इस भावना को और भी जगह प्रचारित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उसे पूरी दुनिया ने देखा। यह हम सब को प्रभावित कर सकता था और हम सब लोगों की हत्या हो सकती थी। सर, निचली अदालत में उस में फांसी की सजा सुना दी। मामला उच्चतम न्यायालय तक गया, वहां भी फांसी की सजा सुनायी गयी, लेकिन आज तक वैसे व्यक्ति को ...(**व्यवधान**)... मैं कह रहा हूं कि आपने प्रावधान किया है। मेरा यह आग्रह है कि अगर सरकार की मंशा सही हो तो यह बहुत अच्छा प्रावधान है, लेकिन सरकार अपने निर्णय और मंशा को लागू भी करे! यह देश और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा और हम आप से मांग करते हैं कि आप उस मंशा को प्रकट करें।

Mr. Minister, I was recently delivering a lecture in the National Police Academy and I had to prepare for that. But the sabotage which you are talking about is different. I was going through the documents and I realized कि इस देश में वर्ष 2001 में जो लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जाते थे, the number of people - the paramilitary forces, the civilians, the terrorists - who were killed in 2001 were about 4000 people. This was in 2001. The number of Naxals killed during that period of time was around 300 to 400. निश्चित रूप से आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने आतंकवाद पर काम किया है, आज 2011 में आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग चार सौ, पांच सौ तक आ गई है, जिसमें पैरामिलिटरी फोर्सेस, सिविलियन्स एंड अदर्स, और नक्सली घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगभग तीन हजार हो गई है। अब आप देखिए, दस वर्षों में इस देश में कितना बड़ा फर्क आया है? एक तरफ आतंकवादी घटनाओं की संख्या में कमी हुई है, तो दूसरी तरफ नक्सली घटनाओं की संख्या में कमी हुई है, तो दूसरी तरफ नक्सली घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज देश भर में जहां भी आपकी जितनी पाइपलाइंस हैं, उनमें अधिकांश इलाके ऐसे हैं, या हो सकते हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं, वे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, सभी राज्य सरकारों की नीतियां हैं, जिस प्रकार से हमने इन 60 वर्षों में देश को चलाया है, जिस प्रकार से देश के

सामने गरीबी है, महंगाई है, और भी विषय हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपके सामने नक्सलियों से चुनौती है, क्योंकि नक्सली इसको टारगेट करेंगे, जिसके कारण बहुत हैं। इसलिए मुझे लगता है और मैं यह कह रहा हूं कि नक्सलियों से वह किसान बेहतर लड़ेगा, न कि अपना सिपाही, अगर आप उसको उसमें हिस्सेदारी दीजिएगा। अगर उसको हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, तो नक्सली उसको बैठकर समझाएगा कि साहब, देखो, इसमें अरबों-खरबों का तेल जा रहा है, तुम्हारे खेत से जा रहा है, फलां इतने पैसे कमा रहा है। You have to make these people stakeholders in protecting that pipeline. If you don't start thinking on these lines, time would come when you would find it very difficult to control it.

Sir, the only comparison which I found across the world, which is not exactly like India but is comparable to India, is Nigeria. आज दुनिया में दसवें स्थान पर अगर कोई देश ऑयल एक्सट्रेक्ट करता है, the tenth position in the world is of Nigeria. Nigeria, which is a major supplier to the United States of America, is in top 10. There are millions of communities, around 16,000 communities, who come together in the regions where these pipelines have been there. It is mostly in the Niger-Delta which has approximately 5000 oil wells, 7000 kilometres of pipeline, 10 export terminals; and they had similar problems. Now, a scientific assessment was made for rupturing and other problems. How oil is stolen was assessed in Nigeria; and I can tell you that it is very interesting. If we compare the Indian system to Nigeria, almost everything can be replicated. There are four ways of stealing oil or fuel from the pipeline. One is oil bunkering. Now, in oil bunkering, when these pipelines are laid next to the coast, what they do is, in the creeks, they excavate a portion, open the pipeline, put a pipe, place a barge in the sea and when the company starts pumping it, the barge is filled and the barge sails it out to the sea. That is one of the ways. That is called bunkering. The other way is, making drills in the pipelines and then extracting it; they scoop it and take it to the drums and carry it. That is another way of doing it. And the third way in which it is done, which is not happening in India, is that there are terrorist organizations in Nigeria who are capturing pipelines, who are capturing installations; and there is a group called 'MEND' which is a terror outfit. This has not happened in India; will not happen in India; we will not want it to happen; but if we do not address many of these issues, things would become like that.

Sir, I have got very interesting figures. Possibly, you must also be having that. In India alone, the theft and the loss through theft, every year, as reported by Indian Oil Corporation and ONGC, is Rs. 1,000 crores; and this is a figure which the Economic Survey has given. Even in China, the most interesting aspect is I may be wrong but I have picked up this figure; I may be wrong -- that one per

cent is the loss. This is what has been given to me. You may correct it. Even in China, Sir, the oil theft, between 2002 and 2006, was Rs. 3,500 crores. And today, China has to go in for a big legislation to defend that. In Nigeria, the pilferage and stealing of oil is worth about five lakh crores of rupees. Then, Sir, another country which is very badly affected by it is Pakistan. Now, this is something very interesting. The largest theft of gas in the world takes place in Pakistan where theft of about ten lakh crore rupees worth of gas and nine-and-a-half lakh crore rupees worth of oil is pilfered. Now, one really does not know. Pakistan has come out with a very tough legislation recently trying to fix up this problem because that money is going into something else. I am sure the Government would be able to say where the money which is going out of the system is being used. So, the country where one of the largest amounts of oil pilferage takes place in this part of the world is Pakistan. Now, where is that money going? Where this money is being used is a question that, I am sure, the Home Ministry and other officials would be able to answer.

आपका यह जो बिल है, इसमें जो प्रावधान हैं, इनसे हम बहुत हद तक सहमत हैं, लेकिन कुछ विषय हैं, जिनके बारे में हम कहना चाहेंगे। Now, it may not be very relevant today, but wherever the pipelines are now going to be laid, you are going to have problems, whether it is in the private sector or in the public sector. For example, environmental issues are coming up. आजकल पर्यावरण के बारे में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। रूस में ट्रांस-साइबेरिया में एक पाइपलाइन आ रही थी, लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वहां एक किस्म का तेंदुआ पाया जाता है, उसे बचाने के लिए इस पाइपलाइन का विरोध हुआ और करीब 6-7 हजार किलोमीटर की पाइपलाइन का क्षेत्र बदल दिया गया, क्योंकि उस तेंदुए को बचाना था। Now this is the consciousness. अभी कुछ दिनों पहले White House का घेराव हुआ। कनाडा से USA में एक पाइपलाइन आनी थी। अभी तक President Obama ने यह तय नहीं किया है कि इसके बारे में क्या करें, क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले चाहे कहीं भी सरकार हो, वह संकट में होती है। यहां तो कुछ सरकारें उससे पहले ही संकट में होती हैं, लेकिन वह अलग बात है। They have protested and this pipeline that comes from Canada to US has been stopped. This pipeline belongs to a company called Keystone. *(Time-bell rings)* उनकी जो Keystone Company है, उन्होंने कहा कि रेत से तेल निकालने पर carbon emission होगा, so we cannot allow it. So, we are becoming conscious about environmental issues. This Bill does not deal with environmental issues. Here, I must thank all the Members of Parliament, all the environmentalists in this country, and all those people who talk

about things green. There is the National Green Tribunal. आज देश में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है और आप सभी लोगों को भी पता होना चाहिए कि देश में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति को या किसान को पर्यावरण से संबंधित किसी प्रकार का नुकसान हो, चाहे वह वित्तीय नुकसान हो या सामाजिक नुकसान हो, कुछ भी नुकसान हो, तो आप तुरंत जाकर National Green Tribunal में अपील कर सकते हैं और आपको तुरंत कंपनसेशन मिलेगा। Unfortunately or fortunately, the Bench has started working only in Delhi. It is suppossed to be set up in Chennai and other places. अब हमें किसानों को बताना होगा कि अगर आपके खेत में एक लीटर तेल भी गिरता है, तो आप अपना petition लेकर जाइए और सरकार से कहिए कि वह इसकी भरपाई करे। *(Time-bell rings)* I am speaking because *...(Interruptions)...* Sir, the Government had passed the Bill bringing in the National Green Tribunal.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude, Mr. Rudy.

श्री राजीव प्रताप रूडी: हमें देश के सभी किसानों को बताना होगा कि जहां भी इस प्रकार की घटना हो, जो भी नुकसान हो, आप पिटीशन लेकर आइए, हमारे पर्यावरण मंत्रालय में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठते हैं, आप उनके पास पिटीशन लेकर आइए। इस तरह सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है।

उपसभापति जी, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए और खासकर सरकार को इस बारे में संवेदना रखनी चाहिए। जो विषय मैंने आपके सामने रखा है, वह बड़ा नीरस विषय था, लेकिन किसी प्रकार से तैयारी करके, कुछ ज्ञान अर्जित करके, मैंने इसे सरस बनाने की कोशिश की है। धन्यवाद।

श्री बीरेन्द्र सिंह (हरियाणा): उपसभापति महोदय, मैं Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2011, जो लोक सभा ने पास किया ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): सर, हमारी संसद में जब बहस होती है, तो बहुत अच्छी होती है, यह बात जरा बाहर के लोगों को भी समझने की जरूरत है।

श्री उपसभापति: इसीलिए आप बहस ज्यादा होने दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: यहां केवल हल्ला-गुल्ला नहीं होता है।

श्री उपसभापति: हल्ला-गुल्ला कम कीजिए, बहस ज्यादा कीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: अच्छे भाषण को भी दिखाया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री उपसभापति: यह सारे देश में दिखाया जा रहा है और दुनिया में भी लोग इसे देख रहे हैं।...(व्यवधान)... वे बोल रहे हैं, प्लीज।

श्री बीरेन्द्र सिंह: उपसभापति जी, मैं इस बिल के समर्थन में और जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनियों ने या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने उन पाइपलाइनों को डालने के लिए जो भी acquisition rights लिए थे, उनमें जो प्रावधान था, उसको अगर थोड़ा अपने नजरिए से हटकर देखें तो आज जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, जिन्होंने अपने tower लगाए हुए हैं, वे सब के सब tower किसानों के खेतों में ... अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 33,000 किलोमीटर है या उससे ज्यादा है, इतने आंकड़ों का तो नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब देश आजाद हुआ, तब इस देश में 1,40,000 व्हीकल्स थे, जिसमें बसें भी थीं, ट्रक भी थे, लोगों की अपनी गाड़ियां और टू-व्हीलर्स भी थे, लेकिन अब इनकी संख्या करोड़ों में है। महोदय, पहले केवल petrol-driven गाड़ियां होती थीं, आहिस्ता-आहिस्ता समय बदला और डीजल एक महत्वपूर्ण fuel बना। उससे 33,000 किलोमीटर जो पाइपलाइन डाली गई, तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें ज्यादा नहीं तो 70 प्रतिशत ऐसी भूमि होगी, जो किसान की land owning होगी, जिसका मालिक वह खुद होगा। रूडी जी यह बात कहना भूल गए कि किसान का उसमें अपना क्या स्वार्थ हो सकता है? मैं यह चाहता हूं कि अगर पेट्रोलियम की policing के लिए दो-दो या तीन-तीन किलोमीटर की बीट में आप एक क्लास-फोर की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। जिस किसान के खेत से जितनी length में वे पाइपलाइनें गुजरती हैं, उनको आप रॉयल्टी के नाम से या rent के नाम से ...(**व्यवधान**)... यह हमने किया है। रूडी जी, आपको शायद पता नहीं, हमने यह किया है। आप तो किसान की बात कहकर हमारे मंत्री जी को यह कहने की कोशिश करते हैं कि शायद आप भी कुछ-कुछ किसान लगते हैं, लेकिन मुझे उधर बैठा हुआ कोई भी किसान नहीं लगता। आप मेहरबानी करें। आपकी अपनी जो सोच है, यह ठीक है कि You are the champion of traders, but you cannot be the champion of kisans. I know that. And, that is the thesis of your party. तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर इसका सारा सर्वे कराकर किसान को उसके महीने का, जैसे मैंने कहा कि जो transmission towers लगे हुए हैं, उनमें वे कंपनियां किसानों को हर महीने या साल में उनका किराया देती हैं और वे खुद maintain करते हैं। उसकी technical faults को कंपनी देखती है, लेकिन उसका रख-रखाव, उसकी सुरक्षा सब उस किसान के हाथ में होती है, इसलिए कोई भी आपको ऐसा example नहीं मिलेगा, जिसमें किसी tower को किसी आतंकवादी या किसी नक्सलाइट ने डैमेज किया हो, तो यह एक सोच है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार)**:** डैमेज किया है, कई जगह किया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: जहां उसको सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा जाएगा, वहां डैमेज होना अलग बात है। मेरा जो प्रपोजल है, वह यह है कि अगर आप किसान को yearly कोई रेंट देकर उन पाइप लाइन्स की सुरक्षा कराएंगे तो आप इन कंपनियों का बहुत सा पैसा बचाएंगे। दूसरी और, जो किसान अपने खेत से कुछ पैदा करता है, उसको जब कुछ additional income होगी, तो वह उन्हें ज्यादा सुरक्षित रख सकेगा। दूसरा, मंत्री जी ने लोक सभा में इस बात

का खुलासा नहीं किया, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सेक्शन 15 और 16 में आपने अमेंडमेंट्स किए हैं और कहा है कि deterrent होगा, क्योंकि इसमें सजा बढ़ा दी गयी है। महोदय, जिसकी चोरी करनी है या जिसको कत्ल करना है, वह यह नहीं देखता कि मुझे 6 महीने की सजा मिलेगी या उम्र कैद होगी। मेरे विचार से deterrent कुछ नहीं होता। सर, कुछ ऐसे सुझाव हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे रूडी जी ने कहा कि जो पाइप लाइन्स हैं, वे किस तरह फटी, किस तरह टूटी या किस तरह लीक हुईं। मेरा यह कहना है कि जो भी पाइप लाइन है, उसकी specification की पाइप आपने दस साल पहले या पांच साल पहले बिछाई है, हो सकता है कि लिक्विड आप उसमें दे रहे हैं वह उससे ज्यादा कैपेसिटी का हो या उसकी velocity ज्यादा हो। ऐसे में वह पाइपलाइन उसको bear नहीं कर सकती। इसलिए उसको रिव्यू करने का प्रावधान करना भी आवश्यक है। उससे आप अपनी पाइपलाइन को ensure कर सकेंगे और उसमें डैमेज होने की भी जो बात है, उसकी संभावना भी कम रहेगी। तीसरी बात मैं, जो अंडरग्राउंड पाइप है, उसकी मेंटेनेंस का जो प्रावधान है, उसकी व्याख्या के बारे में कहना चाहता हूं। जब आप किसी को सजा देते हैं, जब आप कहते हैं कि हमने किसी को चुराते पकड़ लिया या ऑलरेडी कोई लीकेज थी, उसमें से किसी ने कुछ लिक्विड ले लिया और या और उसको इस बात की सजा मिलेगी कि उसने उस लिक्विड को चुराया है। मैं यह कहता हूं कि उसकी मेंटेनेंस अगर समय पर नहीं हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार वह कंपनी है न कि वह आदमी, जिसके खेत में वह रिसाव हुआ है या वह आदमी, जिसने उस रिसाव का फायदा उठाने की कोशिश की है। जो pilferage और spill की बात है, जहां off-shore pipeline है, उस off-shore pipeline पर भी यह देखना पड़ेगा कि जो फिशरमेन हैं, जब वे फिशिंग के लिए जाते हैं तब हो सकता है कि उनके नेट से या उनकी मूवमेंट से कोई पाइपलपइन डैमेज हो जाए। ऐसे में तो उनको भी यह सजा मिलेगी। लेकिन अगर हम इसकी व्याख्या करें कि क्या उनको पता है कि वहां पाइपलाइन है? क्या उनको पता है कि वह पाइपलाइन कितनी गहराई के नीचे है? इसलिए इस प्रावधान को भी हमें देखा होगा कि जो off-shore pipeline है, उसे डैमेज करने की कैपेसिटी सिर्फ उन लोगों को हो सकती है, जिसकी व्याख्या नाइजीरिया का हवाला देकर की गयी है। वह उस systematic तरीके से तो हो सकता है और उन्हीं लोगों को आप apprehend भी कर सकते हैं, उनको सजा भी दे सकते हैं, लेकिन किसी फिशरमैन की वजह से, उसके vessels की वजह से अगर कोई डैमेज होता है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें यह प्रावधान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस किस्म का ऑफेंस cognizable offence होना चाहिए या non-cognizable offence होना चाहिए, bailable होना चाहिए या non-bailable होना चाहिए। मैंने यह देखा है कि जिस आदमी को आप depute करते हो, अगर वह किसी को किसी भी कारण से implicate करना चाहता है...। किसी भी कारण से तो उसके लिए बड़ा आसान है यह ढूंढना कि यह ऑन बेलेबल ऑफेंस है और इस आदमी को मैं बिना किसी ज्यादा तवोज्जह के अगर इसमें सिर्फ यह नहीं लिख दूंगा कि

मैंने यह डेमेज करता पाया गया है, तो उसको भी सजा का प्रावधान है। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यह जरूर कहूंगा कि यह जो प्रावधान है, यह जो नेच्युरल जस्टिस है, उसके प्रावधान और यह प्रावधान मेल नहीं खाते। नेच्युरल जस्टिस कभी यह नहीं कहता कि मैं बेगुनाह हूं। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं। नेच्युरल जस्टिस यह कहता है कि जो मुझे गुनाहगार साबित करना चाहता है उसके पास कुछ तो ऐसा मेटीरियल हो, कुछ तो उसके पास ऐसे तथ्य हों जिससे कि वह मेरी गुनाहगारी को साबित कर सके। तो यह कुछ नेच्युरल जस्टिस की जो बात है वह भी इस ऐक्ट से हटकर है। लेकिन इन सारी बातों के मद्देनजर यह जरूर है कि हम जब तक अपनी सिस्टम के अंदर कोई तब्दीली नहीं करेंगे, यह पाइप लाइन की पिलफ्रेज नहीं है, हमने पिछले 50-60 साल में यह देखा है कि जहां से कोल माइनिंग जो कोल निकलता है, वहां माफिया कैसे डेवलप हो गए और वह माफिया आज अगर कोई रेवेन्यू स्टाम्प दस रुपए की खरीदता है तो वहां माफिया की भी दस रुपए की स्टाम्प है। सरफेस ट्रांसपोर्ट पर जो माफिया का कब्जा है, इसी तरीके के अगर हमने कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाए, कोई कारगर कदम नहीं उठाए, तो पाइप लाइन की जो पिलफ्रेज है, यह भी माफिया डॉमिनेटिड हो जाएगी, एक दिन माफिया का इस पर पूरा कब्जा हो जाएगा और उनकी सैट परसंटेज होगी कि टोटल जो पिलफ्रेज है It should not be 15 per cent; rather, it should be less than 15 per cent. I have seen in some of the States, indirectly, they give assent to what they say, they give credibility to what they say. They just say, we would be charging 10 per cent of any movement of coal, and, that 10 per cent means that there is an implied consent of the State Government, and, even of the Opposition parties in those State Governments. If the system is not demolished, if we cannot confront with this system, then, there is a possibility that this pilferage through pipelines may also get shape, and, there may be an established mafia to dominate the entire 33,000 kilometre pipeline pilferage system.

सर, यह सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सिर्फ कानून की बात नहीं है, आप तेल कंपनियों से क्या अपेक्षा करते हैं कि जिन लोगों को वे एम्पलोई करेंगे, इन पर प्रोटेक्शन के लिए, इन पर निगरानी रखने के लिए वे तेल कपंनियां अपने एम्पलोइज को इतने कमिटमेंट से रख सकती है, जितनी कमिटमेंट आप किसी स्थाई आदमी को, लोकल आदमी को वह रेस्पांसिबिलिटी देकर करवाना चाहेंगे। एक तो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, पैसे बचेंगे, मुझे इस बात की हैरानी है कि आज अगर पेट्रोल का रेट 60 रुपए है, उसमें 28 रुपए ऐसे हैं, हम पेट्रोल की कीमतों की तो बात करते हैं कि कीमत बढ़ गई, घट गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई, घट गई, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, घट गई, कभी हमने यह सोचा है कि 60 रुपए में से 28 रुपए 63 पैसा ऐसा है जो आपका खुद का लगाया हुआ है और आप कंपनी से कभी यह नहीं कह सकते कि इसमें से आप कितना रिड्यूज कर सकते हो। You never talk of reducing their expenditure. You would just listen only to their arguments that market has gone up. Now, the price of one barrel is 127 dollars; now the price of one barrel has

come down from 127 dollars to 123 dollars. सर, कुछ ऐसी बातें हैं, मैंने सुझाव दिया कि इनके माध्यम से भी You don't put that much force. You give the rent to the kisans. You will be saving a lot of money. मंत्रालय मेरे इन सुझावों पर विचार करें और मंत्री जी यह सोचें कि हम किस तरीके से इस cost को reduce कर सकते हैं और जिस किसान के खेत के नीचे से यह लाइन गई है, उसको केवल सहायता ही न देकर, बल्कि उसको इन्सेंटिव देकर पार्टनर बना सकते हैं। जब वह पार्टनर बन जाएगा तो वह इसकी रक्षा ज्यादा मजबूती से कर सकेगा। इन बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बिल के होते हुए रचनात्मक ग्राउंड पर कुछ ऐसे सुधार होंगे, जिनसे टोटल pilferage में कमी आएगी।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Sir, I have a point of order. There are nineteen minutes left to the Congress Party, according to the board there. I hope you will give an opportuity for those nineteen minutes to be utilised. ...*(Interruptions)*...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूरत के अनुसार यह विधेयक पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसके माध्यम से कच्चा तेल पेट्रोलियम उत्पाद और जो देश में भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया चल रही है, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही यह बिल लाया गया है। इस बिल में सजा और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। आपने इसमें जो सजा का प्रावधान रखा है, यह व्यवस्था खासतौर से आतंकवादियों को ध्यान में रखकर ही है और अगर कोई sabotage करता है, तो उसके लिए तो यह मृत्युदंड तक ठीक है। यह बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन यदि किसी साधारण व्यक्ति, किसी बच्चे या किसी किसान द्वारा अनजाने में कोई नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए आपने जो एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया है, हम इससे सहमत नहीं हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें कि जो innocent लोग हैं, हम उनको सजा से कैसे बचा सकेंगे।

मैं इसके बारे में एक और बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस बिल में खासतौर पर सजा का प्रावधान किया है, लेकिन सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आज देश में नक्सलवाद की समस्या है, सरकार इसके बारे में हर बार यह बताती है कि हमने इसके लिए बड़ी कठोर नीति बनाई है। हमने अपने सुरक्षा बलों को आधुनिक वैपन्स उपलब्ध कराए हैं। हमने बजट बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। समाधान तो छोड़ो, आप स्थिति को नियंत्रण में भी नहीं ला पाए

1.00 P.M.

हैं, इसलिए हमें सजा की बजाय सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। हमसे पहले जो मैम्बर बोले हैं, उन्होंने भी चर्चा की है कि हमारे खनिज पदार्थों की चोरी हो रही है। जो माइन्स, मिनरल्स हैं, उनमें माफिया कैसे घुसा, इस संदर्भ में हमने ऑनरेबल मिनिस्टर की बेबसी को, इसी हाउस में एक क्वेश्चन के जवाब में देखा था। उन्होंने बताया था कि जो कोल माफिया हैं, हम उस माफिया को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने ऐसी बेबसी एक क्वेश्चन की रिप्लाई करते हुए दर्शाई थी, इसलिए यह चिन्ता है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाएं। हमारी यह सजेशन है, ...मंत्री जी खुश हो रहे हैं, हमें उनकी खुशी समझ में आ रही है। दो दिन पहले हम एक गीत सुन रहे थे, "मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे-मोती", हम सोच रहे थे कि जिसने गीत लिखा है, उसने तो सच लिखा है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेखक की लेखनी में कोई कमी नहीं है, उसको तो हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सोना गया कहां, हीरे गए कहां, मोती गए कहां? सोना, मोती और हीरे मिट्टी उगल रही है, लेकिन हमारे देश के 70 फीसदी लोग 20 रुपए से भी कम में प्रतिदिन अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।... उत्तर प्रदेश में तो उत्तर देते हैं, लेकिन वह जो उत्तर है, उसमें लज्जा कम होती है। अगर उसमें लज्जा को आधार माना जाए, तो मेरे ख्याल से किसी की जुबान खुल नहीं सकती है। आप कह सकते हैं, लेकिन लज्जा की कमी तो हमें भी नजर आती है और निर्लज्जता किस हद तक होती है, यह आप सब जानते हैं। हमारा यह कहना है कि जैसे हमारे देश की मिट्टी का सोना, हीरे और मोती ...(**व्यवधान**)... पुतले तो दिल्ली में भी हैं, गांधी जी के हैं, लेकिन अम्बेडकर जी के पुतले की आपको तकलीफ होती है, यह हमारी समझ में आता है। क्योंकि डा. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कांग्रेस एक जलता हुआ महल है, जो उसमें जाएगा, वह राख हो जाएगा। डा. अम्बेडकर साहब ने इस देश के खनिज पदार्थों की रक्षा करने के लिए, इस देश के रिसोर्सेज की रक्षा करने के लिए, देश के सामने जो नीति रखने की कोशिश की थी, उस वक्त के हाकिमों ने डा. अम्बेडकर की उस नीति को नहीं अपनाया, इसलिए आज हम माफिया के आगे सरेंडर कर चुके हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री शान्ताराम नायक (गोवा): कांग्रेस ने आपने ज्यादा पुतले लगवाएं हैं।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: आप डा. अम्बेडकर के कितने भक्त हैं, हम यह जानते हैं। डा अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए कितने बरस लगे, उनके प्रति आपकी नीयत क्या रही, आपकी क्या नीति रही ...(**व्यवधान**)... इन्होंने तो दिया नहीं, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के प्रति आपकी आस्था क्या है, हम वह जानते हैं, लेकिन आपको छाती पर पत्थर पर रखकर इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। आपको छाती पर पत्थर रखकर करना होगा। पत्थर दे देंगे। अब हम यह बिल्कुल कहना चाहते हैं कि आप सजा की बजाय सुरक्षा पर ध्यान दीजिए।

हमारा यह कहना है कि सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने पर विचार करे, जो इस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए निरंतर ध्यान रख सके। आप किसान को involve करने की बात कर रहे हैं, पहले यह राय आई है, अगर वह संभव हो सके, तो उस पर हमारी भी राय है, लेकिन किसान नक्सलवाद से लड़ने में कितना सक्षम हो सकता है? नक्सलवाद के ऊपर भी सोचिए कि आप उसको हथियार से control नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी आर्थिक नीति बदलनी पड़ेगी और उनके culture को save करना पड़ेगा।

इसके अलावा हम यह भी कहना चाहते हैं कि पंजाब में आतंकवाद रहा, तो आपने बहुत देर से हथियारों की लड़ाई लड़ने के बाद सरहद पर तार लगाने की व्यवस्था की। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हम इस पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए इसके इर्द-गिर्द तार की व्यवस्था कर सकें, तो फिर सजा की बजाय सुरक्षा पर ध्यान देते हुए इस बिल की भावना के अनुरूप हम आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारी suggestion है।

इस बिल में सरकार के शब्द अच्छे हैं, लेकिन इसमें intention कैसी होगी, इसके पीछे will power कैसी होगी, पहले के बिलों की तरह इसका हाल न हो, सरकार को यह सलाह देते हुए मैं आपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Prasar Bharti (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 20th December, 2011, agreed without any amendment to the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 8th December, 2011."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m. for lunch.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

The Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2011 - contd.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We will continue the discussion on the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2011, Shri P. Rajeeve.